

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103003322011

दांडिक प्रकरण क.-185/11

संस्थापित दिनांक-18.05.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- वन विभाग म0प्र0। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
01-सिरनाम पुत्र जगना आदिवासी उम्र 35 साल 02-अशोक पुत्र लालाराम आदिवासी उम्र 20 साल निवासी कुरवासा <div>.....आरोपीगण</div>
राज्य द्वारा :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। आरोपीगण द्वारा :- श्री गौरव जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.05.2017 को घोषित)

01- वन विभाग म0प्र0 द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) एवं वन प्राणी अधिनियम की धारा 9 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि वन विभाग द्वारा अभियोग पत्र आरोपीगण के विरुद्ध अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) एवं वन प्राणी अधिनियम की धारा 9 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक को मुखविर की सूचना के आधार पर परिक्षेत्र सहायक डुंगासरा एवं वीट गार्ड नानौन वीट नानौन के कक्ष क्रमांक आरएफ 94 में नदी के किनारे चिनिया नामक स्थान पर पहुंचे तब मौके पर दो व्यक्तियों ने सूखी झाड़ियों में आग लगाकर वन्य प्राणियों को जाल में फंसाने के लिए जाल लगाया हुआ था जो मौके पर जप्त किया एवं अपराधी सिरनाम से एक कुल्हाड़ी एवं अपराधी अशोक से एक माचिस जप्त की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक Y2K/7349 के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) एवं वन प्राणी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अब्बल रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (ज) एवं (झ) के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 17.05.2011 को भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि को कृषि प्रयोजनों के लिए साफ करके एवं शिकार खेलने के उद्देश्य से जाल बिछाकर भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (ज) एवं (झ) में दंडनीय अपराध कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 नातीराजा, अ.सा. 02 हनुमंत सिंह, अ.सा. 03 नाथूसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 हनुमंत सिंह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को डिप्टी रेंजर नाथूसिंह घटनास्थल पर गए थे और इसके बाद वह और नातीराजा मौके पर पहुंचे थे। उक्त साक्षी के अनुसार डिप्टी रेंजर ने बताया था कि आरोपीगण ने आग लगा दी है और तीतर पकड रहे हैं। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण किस प्रकार पकड रहे थे उसने नहीं देखा। अ.सा. 02 के अनुसार प्रपी 01 का पंचनामा उसके समक्ष बनाया था तथा प्रपी 02 की कार्यवाही उसके समक्ष की थी जिनके बी से बी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। अ.सा. 02 के अनुसार प्रपी 08 का नक्शामौका उसके समक्ष बनाया गया था। अ.सा. 02 के अनुसार उसे डिप्टी साहब घटनास्थल से आधा कि.मी. दूर मिले थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने डिप्टी साहब के कहने से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार घटना उसके समक्ष नहीं हुई, वह बाद में घटनास्थल पर गया था। अ.सा. 02 ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण को मौके पर जाल लगाते हुए, आग लगाते हुए और शिकार करते हुए नहीं देखा। अ.सा. 01 नातीराजा ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को डिप्टी साहब आरोपीगण को उसके समक्ष पकडकर लाए थे। उक्त साक्षी के अनुसार डिप्टी साहब ने बताया था कि आरोपीगण जंगल में शिकार कर रहे थे इसलिए पकडा है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि वह डिप्टी साहब के साथ घटना दिनांक को घटनास्थल पर गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण से जप्ती कार्यवाही की गई थी।

08— इस प्रकार अ.सा. 01 पक्षद्रोही हो गया है तथा उसके द्वारा अभियोजन की

कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अ.सा. 01 ने उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार किया है। जहां तक अ.सा. 02 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी के अनुसार वह भी घटनास्थल पर नहीं था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपीगण को अपराध करते हुए नहीं देखा। अ.सा. 03 नाथूसिंह जो कि दिनांक 17.05.11 को डिप्टी रेंजर के पद पर सबरेंज डुंगासरा में पदस्थ था। उक्त साक्षी के अनुसार वह घटना दिनांक को घटनास्थल पर वनरक्षक हनुमंत सिंह एवं नातीराजा के साथ पहुंचा था जहां पर धुंआ था और आरोपीगण ने शिकार करने के लिए जाल लगा रखा था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा मौके पर आरोपीगण से जाल, कुल्हाड़ी एवं माचिस जप्त की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने मौके पर जप्ती पंचनामा प्रपी 02 तैयार किया था एवं मौके पर दोनों आरोपीगण को प्रपी 03 एवं प्रपी 04 के अनुसार गिरफ्तार किया था। इस प्रकार अ.सा. 03 की साक्ष्य एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य में विरोधाभास है। जहां अ.सा. 02 के अनुसार मौके पर उसके समक्ष कार्यवाही नहीं हुई तथा वह घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था, वहीं अ.सा. 03 के अनुसार उसने समस्त कार्यवाही घटनास्थल पर ही की थी। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 दोनों वन विभाग के कर्मचारी हैं तथा दोनों साक्षीगण परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। अ.सा. 03 के अनुसार वह अ.सा. 01 को भी अपने साथ ले गया था, किंतु अ.सा. 01 ने उसके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार किया है। अभियोजन के अनुसार आरोपीगण द्वारा वन परिक्षेत्र में कृषि प्रयोजन के लिए वन भूमि को साफ किया गया था, किंतु अभियोजन द्वारा आरएफ 94 से संबंधित शासन का वह नोटिफिकेशन अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जो कि आरएफ 94 को वन भूमि दर्शित करता हो।

09— अ.सा. 03 ने अपने कथनों में इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपीगण द्वारा उसके समक्ष जंगल में आग नहीं लगाई गई। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दोनों आरोपीगण में से किसी ने भी उसके समक्ष जंगल साफ नहीं किया और उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण ने कोई शिकार नहीं किया। उक्त साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि वह नहीं बता

सकता कि आरोपीगण किस चीज का शिकार कर रहे थे। प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रपी 02 की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो रही, क्योंकि प्रपी 02 का एक साक्षी अ.सा. 01 नातीराजा पूर्ण रूप से पक्षद्रोही हो गया है तथा दूसरा साक्षी अ.सा. 02 हनुमंत सिंह के अनुसार घटनास्थल पर वह बाद में गया था और उसके अनुसार उसने डिप्टी साहब के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा कि प्रकरण में घटनास्थल वन भूमि है। अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं हो रहा कि प्रकरण में जप्तशुदा माचिस, जाल एवं कुल्हाड़ी आरोपीगण से जप्त की गई थी। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि अ.सा. 03 तथा अ.सा. 02 की साक्ष्य में विरोधाभास है तथा मात्र अ.सा. 03 की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित मान लेना समीचीन प्रतीत नहीं होता। यह आवश्यक है कि अ.सा. 03 की साक्ष्य का अनुसमर्थन एवं संपुष्टि अभिलेख पर आई हुई अन्य साक्ष्य से होता जिसका कि प्रकरण में अभाव है।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। परिणामतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 (1) (ज) एवं (झ) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा माचिस, कुल्हाड़ी एवं जाल मूल्यहीन होने से अपीलवाधि पश्चात् नष्ट किए जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

13— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)